

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,

समस्त ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी

विषय :- स्थानान्तरण पर माननीय न्यायालय के स्थगन पश्चात् कार्यभार ग्रहण करने के सम्बन्ध में।

प्रायः यह देखा गया है, कि राज्य सरकार द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध माननीय सिविल सेवा अपील अधिकरण अथवा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किये जाने पर चिकित्सक/अधिकारी/कर्मचारी सीधे ही संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में कर्तव्य पर उपस्थित हो जाते हैं तथा वे उन्हे बिना उच्च अधिकारियों की जानकारी के कार्यभार ग्रहण करा लेते हैं, इसको राज्य सरकार द्वारा गंभीरता से लिया गया है।

अतः इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है, कि माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश की स्थिति में अग्रिम मार्गदर्शन निदेशालय/राज्य सरकार से प्राप्त होने पर ही पुनः कार्यभार ग्रहण करवाये इसका कडाई से पालन किया जावे अन्यथा आपके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जावेगी।

निदेशक (जन स्वा.)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,

राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: राजपत्रित/सामान्य/2009/1367

दिनांक 11/12/09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मा. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज., जयपुर।
3. परियोजना निदेशक, एन.आर.एच.एम./आर.एच.एस.डी.पी।
4. निदेशक, आर.सी.एच./एडम्/ई.एस.आई., चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये।
5. निदेशक, मोबाईल सर्जिकल यूनिट, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये।
6. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये।
7. प्रधानाचार्य, आर.एफ.पी.टी.सी., जयपुर/अजमेर।
8. अधीक्षक, के.एन. टी.बी. डी.टी.सी. अजमेर।
9. कार्यालय अधीक्षक, राजपत्रित संस्थापन अनुभाग, मुख्यालय।
10. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभाग की बेंबसाइट पर डाउनलोड किये जाने हेतु।

निदेशक (जन स्वा.)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,  
राजस्थान, जयपुर